

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक- 15-6-2020

:-कार्यालय धाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेली कार्यालय जीक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी शर्तीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-3-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मती पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मध-3 में विद्यार्थी इन फार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

“ निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें कक्षागत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-06-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या की प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तीय के अधीन पाठ्यक्रम एवं कक्षागत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4130	राष्ट्रीय तर्कनी कोलेज नई दिल्ली, पी-एम्पानावा, उत्तराखण्ड।	डिप्लोमा इन फार्मेली	80	90

सम्बद्धता हेतु शर्तीय

- ✓ संस्था पीसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तीय का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 सेक्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्देशिका समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इकीत पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेली पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रदत्त प्राप्त/प्राप्त से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उच्च/उच्चतम से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-संगत पर

14

साथम द्वारा निर्गत किये जाने वाले साक्षात्कार प्रभावी होने और अनुसूचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीठ का पुनर्निर्धारण किया जाय है तो पीठ की नवीनता रहे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा एक समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमन-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित सत्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत साक्षात्कारों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुलभ बना करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/टीचर्स/पीअर/ऑफिसर्स को आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था सरकार प्रवेश साक्षरता द्वारा बनाने वाले विधि/विधान/अभिव्यक्ति/साक्षात्कार/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा 2020 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाये गये विधानों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ किन्तु इन कानूनी प्रावधानों की संस्थाएं यदि पी.सी.ई.सी. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संस्था में प्रवेश उपलब्धता संस्था का होगा जो कि विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था पर उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश सरकार को कोई भी दायर किया जाता है तथा दायर कर के संस्था में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सक्ती आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ किन्तु इन कानूनी प्रावधानों का पालन करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कालेक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयीन प्रारंभ होने के पूर्व पीअर/ऑफिसर्स से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयीन के पालन में) संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनता आर्थिक विधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, स्टाफ, साक्षर-सम्बद्ध, सम्बद्ध, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, प्रकाशित सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विधान-प्राथमिक हेतु चर्चका जांचकरना उपलब्ध करने के साथ विधि टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संभावित प्रस्तावों को बनाये जाने हेतु निर्देशक समिति के साथ उपलब्ध बनाने वाले अभिलेख भुवि-समय, कर्तव्य, उपलब्ध उपलब्धि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था प्रस्तावों का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए बन रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता साक्षर किये जाने की अनुमति को जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उपलक्षण किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसूचित कार्यवाही की जायेगी।

(सह आचार्य विद्व.)
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1572-3141

तद् दिनांक 15-09-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, सैनिक फार्मसी कॉलेज, नाई देवकली, पी- इन्दुरामगंज, इलाहाबाद।

(सह आचार्य विद्व.)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविधिक शिक्षा परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संखनऊ दिनांक- 30/08/2022

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4130-SAINIK PHARMACY COLLEGE

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमावली-2009, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विविधविधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का एफआईओसीटीआई/पीओआईओ में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विक्रिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तथा उत्तर कद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधी संस्था को बननी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अधोक्षित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एफआईओसीटीआई/पीओआईओ में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अक्षर परस्पर प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त संस्था पर निर्गत नवीनतम आदेशों नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिमा रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि कम यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त को प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औचक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एफआईओसीटीआई/पीओआईओ के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफओआरओ खान)


सचिव

एफओआरओ- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SAINIK PHARMACY COLLEGE


(एफओआरओ खान)

सचिव

संघीय

उच्च, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या - प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/315337

संख्या- दिनांक: 20/08/2021

संघीय रूप में

अखिल भारतीय तट-नीची शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय अफिल इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संघीय रूप से 2021-22 हेतु विषयों का राष्ट्रीय तट-नीची शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तत्पश्चात् प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सफल हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/सुई से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 8130-GANIK PHARMACY COLLEGE, MAI DEVKALI, POST-
HANUMANGANJ, ALLAHABAD

क्रमिक	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आई.टी.सी/टी.आई.सी. पी.सी.आई.एच द्वारा वर्ष 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आई.टी.सी/टी.आई.सी./पी.सी.आई.एच द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1962, मैगैस्ट्रट रियोगनवाली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की अवधि में कुल रूप से 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की अवधि में कुल रूप से 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों की अवधि में कुल रूप से 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जाएगा। छात्र/छात्रिका के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले कारणादेश प्रभावी होंगे, और उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीच निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु फीच का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीच की नवीनता दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 12000 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा एवं समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना/सिप्लिमावाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रयोग किया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय एकत्रित करने के अनुसार शिक्षा एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को एम.आई.सी.टी.ई.टी.पी.आई.टी.आई.टी. से अनादीत बन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विहितनिष्पत्ति/अतिरिक्त/साक्षात्कारी/निर्देश एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विपरीत, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि टी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्बन्धित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई हानि उत्पन्न किया जात है तथा द्वारा प्राप्त के संबंध में मा. महाशय्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपूर्ति संबंधित हानि को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संवाचित करने वाली संस्थाओं को उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश साक्षात्कार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अपेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित प्रारंभ होने के पूर्व एम.आई.सी.टी.ई.टी.पी.आई.टी.आई.टी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की कार्यान्वितिका के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत स्वीकार्य अर्हता नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूची भूमि, स्टाफ, माध्यम, उपाकरण, प्रायः किया जाने वाला सुका, आवासीय सुका आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान प्रचलित हेतु उपर्युक्त सामग्रयण उपलब्ध करने के साथ हीगत लेखने के माध्यम से संस्था आवश्यक आदेश सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रचलित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्ध उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का प्रति संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जात है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि एलएड उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो तब तब संस्था को सम्बन्धित समाप्त किये जाने की अनुमति भी जायेगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन/संसाधन एम.आई.सी.टी.ई.टी.पी.आई.टी.आई.टी. के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जात है तो संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित कर ली जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासन/अटक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृष्ठ सं०- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिभिति-

प्रधानाचार्य/निर्देशक SAINIK PHARMACY COLLEGE, MAI DEVKALI, POST-
HANUMANGANJ, ALLAHABAD



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव